कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर

आ दे श

क्रमांक 612/एक–11–1/93/S.W. मण्डलेश्वर, दिनांक 15/12/2022

मैं, दिलीप कुमार नागले, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट 1958, की धारा 15 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194, 381 (2) एवं धारा 400 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीट) करते हुए, इस न्यायिक जिला पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर में पदस्थ न्यायाधीगण के मध्य सिविल एवं दांडिक कार्यों का वितरण/विभाजन नीचे दी गई सारणी अनुसार करता हूँ ।

यह आदेश दिनांक **01.01.2023 से प्रभावशील** होगा, परन्तु इस कार्य वितरण के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिन न्यायालयों के न्यायाधीशगण के पास लंबित या प्रस्तुत हुए हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सारणी

क्र	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार		प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर	संपूर्ण न्यायिक जिला मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़)	(अ)	1	सत्र प्रकरण (संपूर्ण न्यायिक जिला मण्डलेश्वर पश्चिम निमाड़) ।
				2	दांडिक अपील ।
				3	दांडिक पुनरीक्षण याचिका (न्याय पंचायत पुनरीक्षण याचिका को छोड़कर) ।
				4	विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रकरण ।
				5	बाल अधिकार आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बालकों के विरूद्ध अपराध अथवा बाल अधिकारों के अंतिक्रमण संबंधी अपराध के अंतर्गत प्रकरण ।
				7	विशेष अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विशेष प्रकरण एवं अन्य प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गए हैं ।
				8	आपराधिक प्रकरणों के अंतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र ।
				9	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438, 439 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र ।
				10	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 33 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय **मण्डलेश्वर** के दांडिक मामलों से उद्भूत दांडिक अपीलें ।
		न्यायिक तहसील महेश्वर एवं कसरावद	(ब)	1	रूपये 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के मूल सांपत्तिक वाद।
				2	लघुवाद प्रकरण मूल्यांकन रू. 501/– या इससे अधिक व रू. 1000/– तक की सीमा के ।
				3	दामाशाही (इंसाल्वेंसी) प्रकरण मूल्यांकन रूपये 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के ।
				4	जिला मुख्यालय सहित समस्त तहसीलों से उद्भूत होने वाले

.............2

(1)	(2)	(3)		(4)	
				5	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (The Arbitration and Conciliation Act, 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 9, 14, 34 एवं 36 के अंतर्गत **पचास करोड़ रूपए मूल्य से अधिक** के आवेदन पत्र (कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) । **टीप** – तहसील **महेश्वर एवं कसरावद** क्षेत्र से उद्‌भूत होने वाले उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र, जिनका मूल्यांकन एक रूपए से लेकर पचास करोड़ रूपए तक है, प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डलेश्वर के न्यायालय में ही प्रस्तुत होंगे । विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 (Specific Relief Act No. 47 of 1963) के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण (अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावो का विचारण करने के लिए), जो कि सिविल जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर की स्थानीय सीमाओं से उद्‌भूत हुए हो । *रजिस्ट्री जबलपुर पृ.क्र. बी/6235 दिनांक 23.12.2022 के संलग्न म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना फा.क्र. 4779/22 /21–बी(1) 2022 दि. 15.12.2022 में अधिसूचित किए जाने से*
				6	आवेदन पत्र प्रोबेट, आवेदन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				7	मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण ।
				8	मेंटल हेल्थ एक्ट, 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				9	म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिका ।
				10	सिविल न्याय पंचायत रिविजन म.प्र. शेड्‌यूल ट्राइब रिलिफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले पुनरीक्षण प्रकरण।
				11	धारा –22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रूपये 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के प्रकरण ।
				12	भारतीय ट्रेडमार्क एवं ट्रस्ट के अंतर्गत आवेदन पत्र ।
				13	धारा 246 एवं 260 म.प्र. न्याय पंचायत विधान के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के निरस्त करने संबंधी आवेदन पत्र ।
				14	समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले व्यवहारिक प्रकरण जो कार्य विभाजन पत्रक में नहीं दर्शाये गए हैं ।
				15	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले ।
				16	भूमि अधिगृहण प्रकरण ।
				17	मानव अधिकार आयोग संबंधी याचिका ।
				18	धारा 24 व्य.प्रसं. के तहत सांपत्तिक प्रकरणों के अंतरण संबंधी आवेदन पत्र।
				19	अन्य समस्त प्रकार के वाद, आवेदन पत्र आदि जो कि इस न्यायालय के द्वारा श्रवण योग्य हो, जिनका कि वर्णन कार्य विभाजन पत्रक में अंकित नहीं है ।
		न्यायिक	(स)	1	(1) व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डलेश्वर (2) अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट

(1)	(2)	(3)			(4)
		तहसील महेश्वर एवं कसरावद			प्रथम श्रेणी, मण्डलेश्वर / महेश्वर (3) व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसरावद (4) प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डलेश्वर (5) प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महेश्वर (6) अतिरिक्त / व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कसरावद (7) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम लगायत अष्टम अतिरिक्त न्यायाधीश सह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (ट्रेनी जज) (8) एवं अन्य लोकल अथॉरिटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र, समस्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत सिविल अपील, सिविल विविध अपील, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण ।
				2	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 34 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय **मण्डलेश्वर** के दीवानी मामलों से उद्भूत दीवानी अपीलें ।
2	विशेष न्यायाधीश एवं प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	संपूर्ण सत्र खण्ड पश्चिम निमाड़	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विशेष सत्र / आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद पर से उद्भूत विशेष सत्र / आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र, सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्र एवं अन्य विविध कार्यवाहियां **(पॉक्सो एक्ट, 2012 की सम्मिलित धाराओं एवं किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)।**
				3	संपूर्ण न्यायिक जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत **एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985** से संबंधित विशेष सत्र / आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र, रिमाण्ड प्रपत्र, सुपूर्दगीनामा आवेदन पत्र तथा उक्त अधिनियम अंतर्गत अन्य विविध कार्यवाहियां । **(किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)।**
3	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर (विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)		(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
		संपूर्ण न्यायिक जिला मण्डलेश्वर प.नि.		2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र, रिमाण्ड प्रपत्र, परिवाद पत्र इत्यादि ।
				3	एन.आई.ए. एक्ट 2008 के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के प्रकरण ।
				4	''न्यायिक तहसील **महेश्वर, कसरावद** विद्युत क्षेत्र से उद्भूत **विद्युत अधिनियम** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र, सुपूर्दगीनामा एवं अन्य विविध कार्यवाहियां ।
				5	निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण, जो

(1)	(2)	(3)			(4)
					कि तहसील महेश्वर एवं कसरावद क्षेत्र से उद्भूत हुए हो ।
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मंडलेश्वर		(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
5	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मंडलेश्वर	संपूर्ण न्यायिक जिला मण्डलेश्वर प.नि.			रिक्त न्यायालय
6	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मंडलेश्वर		(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	1– न्यायिक तहसील **महेश्वर एवं कसरावद** क्षेत्र अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत समस्त प्रकार के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के समस्त प्रकार के प्रकरण । **(किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)।** 2– संपूर्ण न्यायिक जिला पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वे प्रकरण जिनमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं भी सम्मिलित है । **(किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)।** **टीप क्र. 1** उक्त मामलों से संबंधित रिमांड कार्यवाही व जमानत आवेदन पत्र आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत होकर सुनवाई/निराकृत किए जावेंगे । **टीप क्र. 2** उक्त प्रकार के समस्त प्रकरण इसी न्यायालय में पंजीबद्ध किए जाकर विचारण/निराकरण किए जावेंगे, पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय में प्रकरणों के प्रेषण की आवश्यकता नहीं है ।
7	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वाह	न्यायिक तहसील **बड़वाह** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	1– न्यायिक तहसील **बड़वाह** एवं **सनावद** क्षेत्र अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत समस्त प्रकार के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण (एट्रोसिटी एक्ट तथा किशोर न्याय बोर्ड अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर) । 2– उक्त मामलों से संबंधित रिमांड कार्यवाही व जमानत आवेदन पत्र आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत होकर सुनवाई/निराकृत किए जावेंगे । **टीप** – पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रकरण इसी न्यायालय में पंजीबद्ध किए जाकर विचारण/निराकरण किए जावेंगे, पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय में प्रकरणों के प्रेषण की आवश्यकता नहीं है ।
8	द्वितीय	न्यायिक			रिक्त न्यायालय

(1)	(2)	(3)			(4)
	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वाह	तहसील **बड़वाह** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			
9	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वाह	न्यायिक तहसील **बड़वाह** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	न्यायिक तहसील **बड़वाह, सनावद** विद्युत क्षेत्र से उद्भूत **विद्युत अधिनियम** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र, सुपूर्दगीनामा एवं अन्य विविध कार्यवाहियां ।
				3	निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण । **टीप** – उक्त अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रकरण इसी न्यायालय में प्रस्तुत/पंजीबद्ध किए जाकर विचारण/निराकरण किए जावेंगे, पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय की ओर प्रकरणों के प्रेषण की आवश्यकता नहीं रहेगी ।
			(ब)	1	साम्पत्तिक वाद मूल्यांकन रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के मूल सांपत्तिक वाद ।
				2	लघु वाद प्रकरण 501/– रू. या इससे अधिक एवं रू. 1,000/– तक की सीमा के । भारतीय गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				3	रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के दामाशाही (इंसाल्वेंसी प्रकरण) ।
				4	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (The Arbitration and Conciliation Act 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 9, 14, 34 एवं 36 के अंतर्गत **एक रूपए से पचास करोड़ रूपए मूल्य तक के** आवेदन पत्र (कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) ।
				5	आवेदन पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आवेदन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । ।
				6	मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण ।
				7	मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				8	म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं ।
				9	सिविल न्याय पंचायत, रीजन म.प्र. ट्राइब डेब्ट रिलिफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिविजन ।
				10	भारतीय गार्डियन एंड वाड्र्स एक्ट, एडाप्शन एवं मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				11	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के प्रकरण ।
			(स)	1	हिंदू विवाह विधान, 1955 भारतीय विवाह विच्छेद विधान भारतीय ट्रेड एवं भारतीय ट्रस्ट विधान के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण ।

.............6

(1)	(2)	(3)			(4)
				2	(1) व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वाह (2) अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वाह (3) प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बड़वाह के न्यायालय से उद्‌भूत आपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण, समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र, नियमित दीवानी अपीलें, दीवानी विविध अपीलें, एवं अन्य प्रकरण। (3) लोकल अथॉरिटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र, समस्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत सिविल अपील, सिविल विविध अपील, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं अन्य प्रकरण ।
10	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय सनावद	न्यायिक तहसील **सनावद** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण । **टीप** – उक्त अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रकरण इसी न्यायालय में प्रस्तुत/पंजीबद्ध किए जाकर विचारण/निराकरण किए जावेंगे, पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय की ओर प्रकरणों के प्रेषण की आवश्यकता नहीं रहेगी ।
			(ब)	1	साम्पत्तिक वाद मूल्यांकन रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के मूल सांपत्तिक वाद ।
				2	लघु वाद प्रकरण 501/– रू. या इससे अधिक एवं रू. 1,000/– तक की सीमा के । भारतीय गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				3	रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के दामाशाही (इंसाल्वेंसी प्रकरण) ।
				4	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (The Arbitration and Conciliation Act 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 9, 14, 34 एवं 36 के अंतर्गत **एक रूपए से पचास करोड़ रूपए मूल्य तक के** आवेदन पत्र (कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) ।
				5	आवेदन पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आवेदन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । ।
				6	मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण ।
				7	मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				8	म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं ।
				9	सिविल न्याय पंचायत, रीजन म.प्र. ट्राइब डेब्ट रिलिफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिविजन ।
				10	भारतीय गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, एडाप्शन एवं मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				11	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के प्रकरण ।

(1)	(2)	(3)	(4)		
			(स)	1	हिंदू विवाह विधान 1955 भारतीय विवाह विच्छेद विधान भारतीय ट्रेड एवं भारतीय ट्रस्ट विधान के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण ।
				2	(1) व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद (2) अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद (3) प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद के न्यायालय से उद्भूत आपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण, समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र, नियमित दीवानी अपीले, दीवानी विविध अपीलें, एवं अन्य प्रकरण। (4) लोकल अथॉरिटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र, समस्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत सिविल अपील, सिविल विविध अपील, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं अन्य प्रकरण ।
11	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	1– न्यायिक तहसील **खरगोन** क्षेत्र अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत समस्त प्रकार के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण (ऐट्रोसिटी एक्ट तथा किशोर न्याय बोर्ड अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर) । 2– उक्त मामलों से संबंधित रिमांड कार्यवाही व जमानत आवेदन पत्र आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत होकर सुनवाई/निराकृत किए जावेंगे । **टीप** – पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रकरण इसी न्यायालय में पंजीबद्ध किए जाकर विचारण/निराकरण किए जावेंगे, पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय में प्रकरणों के प्रेषण की आवश्यकता नहीं है ।
			(ब)	1	मूल साम्पत्तिक वाद रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के मूल सांपत्तिक वाद।
				2	रू. 501/– या इससे अधिक एवं रू. 1,000/– की सीमा तक के लघुवाद प्रकरण ।
				3	रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के दामाशाही (इंसाल्वेंसी प्रकरण) ।
				4	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (The Arbitration and Conciliation Act 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 9, 14, 34 एवं 36 के अंतर्गत **एक रूपए से पचास करोड़ रूपए मूल्य तक के** आवेदन पत्र (कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) ।
				5	आवेदन पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आवेदन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				6	मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण ।

(1)	(2)	(3)			(4)
				7	मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				8	म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं ।
				9	सिविल न्याय पंचायत, रीजन म.प्र. ट्राइब डेब्ट रिलिफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिविजन ।
				10	भारतीय गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, एडाप्शन एवं मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				11	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 1,00,00,001/– रू. या इससे अधिक के मूल्यांकन के प्रकरण ।
			टीप		**"उपरोक्त कॉलम (ब) वाले समस्त प्रकरण दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 30.04.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।"**
			(स)	1	(1) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन (2) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन के न्यायालय से उद्भूत नियमित दीवानी अपील, विविध दीवानी अपील आपराधिक अपील, पुनरीक्षण, समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण ।
				2	लोकल अथॉरिटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र, समस्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत सिविल अपील, सिविल विविध अपील, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं अन्य प्रकरण ।
12	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			रिक्त न्यायालय
13	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	न्यायिक तहसील **खरगोन** विद्युत क्षेत्र से उद्भूत **विद्युत अधिनियम** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र, सुपूर्दगीनामा एवं अन्य विविध कार्यवाहियां ।
			(ब)	1	मूल साम्पत्तिक वाद रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के मूल सांपत्तिक वाद।
				2	रू. 501/– या इससे अधिक एवं रू. 1,000/– की सीमा तक के लघुवाद प्रकरण ।
				3	रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के दामाशाही (इंसाल्वेंसी प्रकरण) ।
				4	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (The Arbitration and Conciliation Act 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 9, 14, 34 एवं 36 के अंतर्गत **एक रूपए से पचास करोड़ रूपए मूल्य तक के**

.............9

(1)	(2)	(3)	(4)		
					आवेदन पत्र (कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) ।
				5	आवेदन पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आवेदन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				6	मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण ।
				7	मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				8	म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं ।
				9	सिविल न्याय पंचायत, रीजन म.प्र. ट्राइब डेब्ट रिलिफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिविजन ।
				10	भारतीय गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, एडाप्शन एवं मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				11	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 1,00,00,001/— रू. या इससे अधिक के मूल्यांकन के प्रकरण ।
			टीप		**"उपरोक्त कॉलम (ब) वाले समस्त प्रकरण दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 31.08.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।"**
			(स)	1	**किशोर न्याय बोर्ड** से उद्भूत समस्त प्रकार की अपीलें ।
				2	(1) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन (3) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन के न्यायालय से उद्भूत नियमित दीवानी अपील, विविध दीवानी अपील आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण ।
14	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण । **टीप** — उक्त अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रकरण इसी न्यायालय में प्रस्तुत/पंजीबद्ध किए जाकर विचारण/निराकरण किए जावेंगे, पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय की ओर प्रकरणों के प्रेषण की आवश्यकता नहीं रहेगी ।
			(ब)	1	मूल साम्पत्तिक वाद रू. 1,00,00,001/— या इससे अधिक मूल्यांकन के मूल सांपत्तिक वाद।
				2	रू. 501/— या इससे अधिक एवं रू. 1,000/— की सीमा तक के लघुवाद प्रकरण ।
				3	रू. 1,00,00,001/— या इससे अधिक मूल्यांकन के दामाशाही (इंसाल्वेंसी प्रकरण) ।

.............10

(1)	(2)	(3)			(4)
				4	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (The Arbitration and Conciliation Act 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 9, 14, 34 एवं 36 के अंतर्गत **एक रूपए से पचास करोड़ रूपए मूल्य तक के** आवेदन पत्र (कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) ।
				5	आवेदन पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आवेदन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				6	मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण ।
				7	मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				8	म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं ।
				9	सिविल न्याय पंचायत, रीजन म.प्र. ट्राइब डेब्ट रिलिफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिविजन ।
				10	भारतीय गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, एडाप्शन एवं मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				11	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 1,00,00,001/— रू. या इससे अधिक के मूल्यांकन के प्रकरण ।
			टीप		**"उपरोक्त कॉलम (ब) वाले समस्त प्रकरण दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।"**
			(स)	1	*हिंदू विवाह विधान, 1955 भारतीय विवाह विच्छेद विधान भारतीय ट्रेड एवं भारतीय ट्रस्ट विधान के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण ।*
				2	(1) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन (2) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन (3) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन के न्यायालय से उद्भूत नियमित दीवानी अपील, विविध दीवानी अपील आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण ।
15	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			रिक्त न्यायालय ।
16	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			रिक्त न्यायालय ।

.............11

(1)	(2)	(3)			(4)
17	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव	न्यायिक तहसील **भीकनगांव**के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			रिक्त न्यायालय ।
18	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	न्यायिक तहसील **भीकनगांव**के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	1– न्यायिक तहसील **भीकनगांव** क्षेत्र अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत समस्त प्रकार के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण (ऐट्रोसिटी एक्ट तथा किशोर न्याय बोर्ड अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर) । 2– उक्त मामलों से संबंधित रिमांड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन पत्र आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत होकर सुनवाई/निराकृत किए जावेंगे । **टीप** – पॉक्सो अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रकरण इसी न्यायालय में पंजीबद्ध किए जाकर विचारण/निराकरण किए जावेंगे, पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय में प्रकरणों के प्रेषण की आवश्यकता नहीं है ।
				3	न्यायिक तहसील **भीकनगांव** विद्युत क्षेत्र से उद्भूत **विद्युत अधिनियम** से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण, परिवाद पत्र, जमानत आवेदन पत्र, सुपूर्दगीनामा एवं अन्य विविध कार्यवाहियां ।
				4	निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण । **टीप** – उक्त अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रकरण इसी न्यायालय में प्रस्तुत/पंजीबद्ध किए जाकर विचारण/निराकरण किए जावेंगे, पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय की ओर प्रकरणों के प्रेषण की आवश्यकता नहीं रहेगी ।
			(ब)	1	साम्पत्तिक वाद मूल्यांकन रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के मूल सांपत्तिक वाद।
				2	लघु वाद प्रकरण 501/– रू. या इससे अधिक एवं रू. 1,000/– तक की सीमा के ।
				3	रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के दामाशाही (इंसाल्वेंसी प्रकरण) ।
				4	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (The Arbitration and Conciliation Act 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 9, 14, 34 एवं 36 के अंतर्गत **एक रूपए से पचास करोड़ रूपए मूल्य तक के** आवेदन पत्र (कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) ।
				5	आवेदन पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आवेदन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				6	मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण ।
				7	मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।

.............12

(1)	(2)	(3)		(4)	
				8	म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं ।
				9	सिविल न्याय पंचायत, रीजन म.प्र. ट्राइब डेब्ट रिलिफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिविजन ।
				10	भारतीय गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, एडाप्शन एवं मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				11	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के प्रकरण ।
			(स)	1 2	*हिंदू विवाह विधान, 1955 भारतीय विवाह विच्छेद विधान भारतीय ट्रेड एवं भारतीय ट्रस्ट विधान के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण ।* (1) व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भीकनगांव (2) अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भीकनगांव (3) व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भीकनगांव (4) अति. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भीकनगांव के न्यायालय से उद्भूत नियमित दीवानी अपील, विविध दीवानी अपील आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण । (5) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 33 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय **भीकनगांव** के दांडिक मामलों से उद्भूत दांडिक अपीलें । (6) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 34 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय **भीकनगांव** के दीवानी मामलों से उद्भूत दीवानी अपीलें ।
				3	लोकल अथॉरिटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र, समस्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत सिविल अपील, सिविल विविध अपील, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं अन्य प्रकरण ।
19	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीले		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण । **टीप – व्यवहार न्यायाधीश/अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक न्यायिक तहसील भीकनगांव से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकार के व्यवहार प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे ।**
20	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीले		1	रिक्त न्यायालय
21	तृतीय	न्यायिक	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त

(1)	(2)	(3)		(4)	
	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड खरगोन	तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें			प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद मूल्यांकन रू. 5,00,001/– या इससे अधिक एवं रू. 1,00,00,000/– की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण 201/–रू. या इससे अधिक एवं रू. 500/– की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 5,00,001/– या इससे अधिक तथा रू. 1,00,00,000/– की सीमा तक के प्रकरण।
				5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।
				6	दामाशाही (इन्सॉल्वेंसी) विधान के अंतर्गत रू. 1,00,00,000/– तक की सीमा के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				7	धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें ।
22	व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड भीकनगांव	न्यायिक तहसील **भीकनगांव** के अंतर्गत राजस्व तहसीले		1	रिक्त न्यायालय
23	व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड कसरावद	न्यायिक तहसील **कसरावद** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद मूल्यांकन रू. 5,00,001/– या इससे अधिक एवं रू. 1,00,00,000/– की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण 201/–रू. या इससे अधिक एवं रू. 500/– की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 5,00,001/– या इससे अधिक तथा रू. 1,00,00,000/– की सीमा तक के प्रकरण।
				5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।
				6	दामाशाही (इन्सॉल्वेंसी) विधान के अंतर्गत रू. 1,00,00,000/– की सीमा के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				7	धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें ।
24	व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड बड़वाह	न्यायिक तहसील **बड़वाह** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद मूल्यांकन रू. 5,00,001/– या इससे अधिक एवं रू. 1,00,00,000/– की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण 201/–रू. या इससे अधिक एवं रू. 500/– की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 5,00,001/– या इससे अधिक तथा रू. 1,00,00,000/– की सीमा तक के प्रकरण।
				5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।

..............14

(1)	(2)	(3)			(4)
				6	दामाशाही (इन्सॉल्वेंसी) विधान के अंतर्गत रू. 1,00,00,000/— की सीमा तक के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				7	धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें ।
			टीप		**व्यवहार न्यायाधीश/अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सनावद के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक न्यायिक तहसील सनावद से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकार के व्यवहार प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे ।**
25	व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड एवं ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर	न्यायिक तहसील **महेश्वर** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद मूल्यांकन रू. 5,00,001/— या इससे अधिक एवं रू. 1,00,00,000/— की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण 201/—रू. या इससे अधिक एवं रू. 500/— की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 5,00,001/— या इससे अधिक तथा रू. 1,00,00,000/— की सीमा तक के प्रकरण।
				5	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण ।
				6	दामाशाही (इन्सॉल्वेंसी) विधान के अंतर्गत रू. 1,00,00,000/— की सीमा के प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				7	धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें ।
26	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड बड़वाह	न्यायिक तहसील **बड़वाह**		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/— से रू. 200/— की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के प्रकरण ।
27	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड बड़वाह	न्यायिक तहसील **बड़वाह**		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
28	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सनावद	न्यायिक तहसील **सनावद**		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/— से रू. 200/— की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/— से रू.

..............15

(1)	(2)	(3)	(4)		
					5,00,000/— की सीमा के प्रकरण ।
			टीप		**क्रमांक 2 से 4 पर उल्लेखित समस्त प्रकरण दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 30.06.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।"**
29	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सनावद	न्यायिक तहसील **सनावद**		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/— से रू. 200/— की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा के प्रकरण ।
			टीप		**क्रमांक 2 से 4 पर उल्लेखित समस्त प्रकरण दिनांक 01.07.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।"**
30	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड महेश्वर	न्यायिक तहसील **महेश्वर** (आ.के. मण्डलेश्वर को छोड़कर)		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/— से रू. 200/— की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के प्रकरण ।
			टीप		**(1)** आरक्षी केन्द्र महेश्वर एवं करही क्षेत्र से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले उपरोक्तानुसार व्यवहार प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे । **(2)** आरक्षी केन्द्र मण्डलेश्वर से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले उपरोक्तानुसार व्यवहार प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर के न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे ।
31	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड महेश्वर	न्यायिक तहसील **महेश्वर** (आ.के. मण्डलेश्वर को छोड़कर)			रिक्त न्यायालय ।
32	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड कसरावद	न्यायिक तहसील **कसरावद** के अंतर्गत राजस्व तहसील		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/— से रू. 200/— की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के प्रकरण ।
33	व्यवहार	न्यायिक		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित समस्त

(1)	(2)	(3)		(4)
	न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड भीकनगांव	तहसील **भीकनगांव** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें		प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
			2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के ।
			3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/– से रू. 200/– की सीमा तक के ।
			4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. रू. 1/– से 5,00,000/– की सीमा तक के प्रकरण ।
			टीप	**क्रमांक 2 से 4 पर उल्लेखित समस्त प्रकरण दिनांक 01.07.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।'**
34	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	न्यायिक तहसील **भीकनगांव** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
			2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के ।
			3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/– से रू. 200/– की सीमा तक के ।
			4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. रू. 1/– से 5,00,000/– की सीमा तक के प्रकरण ।
			टीप	**क्रमांक 2 से 4 पर उल्लेखित समस्त प्रकरण दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 30.06.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।''**
35	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
			2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के ।
			3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/– से रू. 200/– की सीमा तक के ।
			4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के प्रकरण ।
			टीप	**क्रमांक 2 से 4 पर उल्लेखित समस्त प्रकरण दिनांक 01.07.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।**
36	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	1	रिक्त न्यायालय
37	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	1	रिक्त न्यायालय
38	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
			2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के ।
			3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/– से रू. 200/– की सीमा तक के ।
			4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/– से रू.

(1)	(2)	(3)			(4)
					5,00,000/— की सीमा तक के प्रकरण ।
			टीप		**क्रमांक 2 से 4 पर उल्लेखित समस्त प्रकरण दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 30.06.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।**
39	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड मण्डलेश्वर	न्यायिक तहसील महेश्वर (थाना क्षेत्र महेश्वर, करही को छोड़कर)		1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/— से रू. 200/— की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/— से रू. 5,00,000/— की सीमा तक के प्रकरण ।
			टीप		**(1)** आरक्षी केन्द्र महेश्वर एवं करही क्षेत्र से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले उपरोक्तानुसार व्यवहार प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर के न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे । **(2)** आरक्षी केन्द्र मण्डलेश्वर क्षेत्र से उद्भूत व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, के श्रवण क्षेत्राधिकार वाले उपरोक्तानुसार व्यवहार प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे ।
40	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड मण्डलेश्वर	न्यायिक तहसील महेश्वर (थाना क्षेत्र महेश्वर, करही को छोड़कर)			रिक्त न्यायालय ।

सामान्य टीप :

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्य विभाजन पत्रक में विभाजित किए गए कार्य के अतिरिक्त यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य वितरित दांडिक कार्य संबंधी कार्यविभाजन पत्रक में किसी विशेष अधिनियम अंतर्गत प्रकरण का श्रवण क्षेत्राधिकार जिस मजिस्ट्रेट न्यायालय को दिया गया है, उस मजिस्ट्रेट न्यायालय के अपीलीय न्यायालय द्वारा ही उक्त विशेष अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा ।

2. रिक्त न्यायालयों का आवश्यक प्रभार एवं माननीय उच्च न्यायालय, अपील न्यायालय से संबंधित कार्य उनके क्रमवर्ती न्यायालय द्वारा संपादित किया जावेगा । यदि क्रमवर्ती न्यायालय का पद रिक्त है तो आगामी क्रमवर्ती न्यायालय द्वारा उक्त कार्य निष्पादित किया जावेगा । यदि कोई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से रिमांड होकर प्राप्त होता है तो मामला स्वयमेव ही उसके क्रमवर्ती न्यायालय को अंतरित हो जावेगा, पृथक से अंतरण की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

3. तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक तथा चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उद्भूत विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन प्रकरण, क्लेम प्रकरणों तथा भू अर्जन प्रकरण में जमा की जाने तथा आहरित की जाने वाली राशि के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण/निष्पादन चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र

.............18

न्यायाधीश, मण्डलेश्वर द्वारा किया जावेगा ।

इसी प्रकार तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक तथा चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय (वर्तमान में अनन्यतः पॉक्सो एक्ट के लिए अधिसूचित न्यायालय) द्वारा घोषित निर्णय/जयपत्र से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण/विविध प्रकरण तथा वरिष्ठ न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के प्रकरण प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे।

4. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उद्भूत विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन प्रकरण, क्लेम प्रकरण तथा भू अर्जन प्रकरण में जमा की जाने तथा आहरित की जाने वाली राशि के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण/निष्पादन तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह द्वारा किया जावेगा ।

श्रृंखला न्यायालय की अवधि में यदि राशि जमा किए जाने/आहरण किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त होता है, तब भी ऐसे आवेदन पत्र का वरियता के आधार पर निराकरण किया जावें ।

5. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उद्भूत विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन प्रकरण, क्लेम प्रकरण तथा भू अर्जन प्रकरण में जमा की जाने तथा आहरित की जाने वाली राशि के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण/निष्पादन तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन द्वारा किया जावेगा ।

6. न्यायिक तहसील खरगोन श्रवण क्षेत्राधिकारिता के पॉक्सो एक्ट, 2012 के ऐसे प्रकरण, जिनमें पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त/गण को फरार घोषित किया गया है, में अभियुक्त/गण के उपस्थित होने की दशा में प्रकरण स्वयमेव ही प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन के न्यायालय में अंतरित होना माना जावेगा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण तथा उसमें प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के अंतरवर्तीय/जमानत आवेदन पत्रों आदि पर विधि अनुसार सुनवाई/निराकरण किया जावेगा, पृथक से अंतरण आदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

इसीप्रकार उक्त अधिनियम अंतर्गत कोई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय से रिमांड होकर प्राप्त होता है तो मामला स्वयमेव ही प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, खरगोन के न्यायालय में अंतरित हो जावेगा, पृथक से अंतरण की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

7. रिक्त न्यायालय के संबंध में समस्त जानकारी माननीय उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय को उसके क्रमवर्ती न्यायालय द्वारा ही दी जावेगी एवं रिक्त न्यायालय से अपील/रिविजन के प्राप्त होने वाले अभिलेख का परिणाम पंजी में प्रविष्ट करवाया जाकर अभिलेखागार में जमा करने की कार्यवाही भी की जावेगी ।

8. रिक्त न्यायालय से उद्भूत दीवानी निष्पादन प्रकरण, दीवानी विविध प्रकरण, स्वयमेव ही क्रमवर्ती न्यायालय, क्रमवर्ती न्यायालय की अनुपलब्धता की दशा में उस स्थान पर उपलब्ध सक्षम न्यायालय, में प्रस्तुत किए जाकर श्रवण एवं निराकृत किए जावेंगे ।

9. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में न्यायिक तहसील महेश्वर एवं कसरावद क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रतिभूति आवेदन पत्र, जिनका प्रथम या पश्चातवर्ती निराकरण किया जा चुका है अथवा सहअभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र का पूर्व में निराकरण किया जा चुका है, को उन्हीं पीठासीन अधिकारी द्वारा श्रवण/निराकृत किया जावेगा जिनके द्वारा प्रथम/पश्चातवर्ती आवेदन पत्र अथवा सहअभियुक्त के आवेदन पत्र को निराकृत किया गया था । ऐसे आवेदन पत्र स्वयमेव ही संबंधित न्यायालय में अंतरित होना माना जावेगा, पृथक से अंतरण की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में न्यायिक तहसील महेश्वर एवं कसरावद क्षेत्राधिकार से उद्‌भूत प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रतिभूति आवेदन पत्र, **जो किसी अपराध में प्रथम बार प्रस्तुत होकर उनमें केस डायरी प्राप्त हो चुकी है,** को प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के न्यायालय में उक्त प्रतिभूति आवेदन पत्र स्वयमेव अंतरित होना माना जाकर उन्हीं के द्वारा विधिवत सुनवाई एवं निराकरण किया जावेगा –

सप्ताह के दिन	**:**	**प्रभारी न्यायालय का नाम**
सोमवार	:	विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा), मण्डलेश्वर
मंगलवार, बुधवार	:	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर
गुरूवार, शुक्रवार	:	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर
शनिवार	:	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर

11. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, महेश्वर के रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने तक उक्त न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकारिता वाले प्रकरणों में घोषित निर्णय/जयपत्र से उद्‌भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण/विविध प्रकरण तथा वरिष्ठ न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के व्यवहार प्रकरण, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर के न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे ।

12. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन के पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक तहसील खरगोन की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता वाले व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकारिता के प्रकरणों में घोषित निर्णय/जयपत्र से उद्‌भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण/विविध प्रकरण तथा वरिष्ठ न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के प्रकरण तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन के न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे ।

13. अतिरिक्त/व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव के पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक तहसील भीकनगांव की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता वाले व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकारिता के प्रकरणों में घोषित निर्णय/जयपत्र से उद्‌भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण/विविध प्रकरण तथा वरिष्ठ न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन के न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे ।

(दिलीप कुमार नागले)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर

आ दे श

क्रमांक 613 / S.W. मण्डलेश्वर, दिनांक 15 / 12 / 2022

मैं, दिलीप कुमार नागले, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 18 एवं 19 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायिक जिला स्थापना में पदस्थ न्यायाधीश की अनुपस्थिति, अवकाश अथवा का पद रिक्तता की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल एवं दांडिक कार्य के निष्पादन हेतु निम्नानुसार आदेशित प्रसारित करता हूँ, जो दिनांक **01.01.2023 से प्रभावशील** होगा ।

सारणी

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायालय का नाम			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	विशेष न्यायाधीश, (एससी / एसटी) मण्डलेश्वर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
2	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मण्डलेश्वर	विशेष न्यायाधीश, (एससी / एसटी) मण्डलेश्वर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
3	विशेष न्यायाधीश, (एससी / एसटी) मण्डलेश्वर	प्रथम जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	द्वितीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	तृतीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	चतुर्थ जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
4	प्रथम जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	द्वितीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	तृतीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	चतुर्थ जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	विशेष न्यायाधीश, (एससी / एसटी) मण्डलेश्वर
5	द्वितीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	तृतीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	चतुर्थ जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	प्रथम जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	विशेष न्यायाधीश, (एससी / एसटी) मण्डलेश्वर
6	तृतीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	चतुर्थ जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	प्रथम जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	द्वितीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	विशेष न्यायाधीश, (एससी / एसटी) मण्डलेश्वर
7	चतुर्थ जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर	प्रथम जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	द्वितीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	तृतीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर	विशेष न्यायाधीश, (एससी / एसटी) मण्डलेश्वर

..............21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय सनावद	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
9	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय सनावद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
10	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय सनावद	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
11	जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय सनावद	तृतीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	प्रथम जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	द्वितीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	द्वितीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
12	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन
13	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन
14	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन
15	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन
16	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन
17	षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन
18	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन
19	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश	तृतीय जिला एवं अपर सत्र	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र	प्रथम जिला एवं अपर सत्र

.............22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	भीकनगांव	न्यायाधीश, खरगोन	न्यायाधीश, खरगोन	न्यायाधीश, खरगोन
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कसरावद
21	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कसरावद
22	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कसरावद
23	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन
24	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन
25	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बड़वाह	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सनावद	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मंडलेश्वर	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, महेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कसरावद
26	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सनावद	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बड़वाह	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मंडलेश्वर	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, महेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कसरावद
27	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, महेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कसरावद	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बड़वाह	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सनावद
28	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कसरावद	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, महेश्वर	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन
29	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, महेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कसरावद	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बड़वाह	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सनावद
30	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन
31	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन
32	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन

.............23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खरगोन
34	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सनावद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सनावद	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सनावद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बड़वाह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बड़वाह
35	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सनावद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सनावद	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सनावद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बड़वाह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बड़वाह
36	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बड़वाह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बड़वाह	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बड़वाह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सनावद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सनावद
37	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बड़वाह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बड़वाह	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बड़वाह	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सनावद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सनावद
38	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कसरावद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कसरावद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मंडलेश्वर
39	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मंडलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर
40	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मंडलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर
41	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, महेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर
42	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, महेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर
43	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	अति. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन
44	अति. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन
45	ग्राम न्यायाधिकारी मण्डलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महेश्वर
46	ग्राम न्यायाधिकारी भीकनगांव	अति. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगांव	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खरगोन

.............24

सामान्य टीप –

1. किसी न्यायालय के चारों इंचार्ज/प्रभारी पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में उस न्यायालय के चतुर्थ इंचार्ज/प्रभारी पीठासीन अधिकारी के क्रमवर्ती इंचार्ज/प्रभारी पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा तथा यह क्रम इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा ।

2. जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालयों पर कार्यरत न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के अवकाश अथवा किसी भी कारण से अनुपस्थिति की दशा में स्टेशन पर कार्यरत प्रभारी/समकक्ष स्तर के पीठासीन अधिकारी भी उपलब्ध न हो तब ऐसी दशा में विचाराधीन दांडिक प्रकरणों का अभिलेख जिनमें लिखी जाने वाली सामान्य प्रकार की आदेश पत्रिकाओं/जेल वापस भेजने के वारंट/साक्षीगण के जमानती वारंट/गिरफ्तारी वारंट पर औपचारिक हस्ताक्षर करवाए जाने हेतु भिन्न स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष परिवहन कर प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं, इससे प्रकरणों के गुम होने अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षति/दुर्घटना कारित होने की संभावना बनी रहती है, अतः ऐसे औपचारिक हस्ताक्षर वाले प्रकरणों को भिन्न स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष परिवहन कर प्रस्तुत नहीं किए जावेंगे, जब तक कि मामलें में कोई अत्यावश्यक प्रकृति का न्यायिक आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता न हो । ऐसे औपचारिक हस्ताक्षर स्टेशन पर उपलब्ध सुविधा अनुसार किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा किए जा सकेंगे ।

(दिलीप कुमार नागले)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

....